न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय)

वाद संख्या : 129/2018

1. गोपाल पुत्र स्व. श्री नानगा
2. प्रेमचन्द पुत्र स्व. श्री नागना
3. दामोदर पुत्र स्व. श्री नानगा
4. प्रभाती देवी पुत्री स्व. श्री नानगा
5. मुन्नी देवी पुत्री स्व. श्री नानगा
6. रामप्यारी देवी पुत्री स्व. श्री नानगा
7. कौशल्या देवी पुत्री स्व. श्री नानगा
8. भूरी देवी पत्नी स्व. श्री नानगा

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम झालाना चौड़, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—— वादीगण

—— ब ना म ——

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर।
2. जिला कलेक्टर महोदय, जयपुर।
3. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, राजस्थान।

—— प्रतिवादीगण

4. धारूलाल पुत्र स्व. श्री गणेश
5. दूलचन्द पुत्र स्व. श्री गणेश
6. मूलचन्द पुत्र स्व. श्री गणेश
7. रूपनारायण पुत्र स्व. श्री गणेश
8. कानाराम पुत्र स्व. श्री गणेश

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम झालाना चौड़, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

9. फूलचन्द पुत्र स्व. श्री तुलसीराम नाबालिग जरिये माता रूकमा, जाति माली निवासी ग्राम झालाना चौड़, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. श्रीमती रूकमा पत्नी स्व. श्री तुलसीराम, जाति माली निवासी ग्राम झालाना चौड़, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

——प्रारूपिक प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः— 1. श्री विनोद डोवट्या, अभिभाषक वादीगण
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 6/2/19

यह दावा वादीगण गोपाल व अन्य ने ग्राम झालाना चौड़, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 258 रकबा 0.23 हैक्टे0, 259 रकबा 0.42 हैक्टे0 कुल किता 2 रकबा 0.65 हैक्टे0 के संबंध में राजस्थान सरकार व अन्य के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया।

संक्षेप में मुकदमे के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 08.10.2014 को वादीगण गोपाल व अन्य ने यह दावा राजस्थान सरकार व अन्य के विरूद्ध मुख्यतः यह दर्ज करत हुये प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण में से कोई भी ऐसा नहीं है जो दावा करने में अयोग्य हो अर्थात् वादीगण व प्रतिवादीगण सभी दावा करने में पूर्ण सक्षम है एवं पूर्ण बालिग है। वादीगण

जगत राजेश्वरी
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

ने परिवार का सजरा अंकित करते हुये यह दर्ज किया कि वादीगण के पूर्वज ग्यारसा पुत्र जीवन व नानगा पुत्र ग्यारसा भूमि विवादग्रस्त पर काश्त करते थे, जिनके स्वर्गवास के बाद वादीगण भूमि विवादग्रस्त पर निरन्तर काश्त कर रहे हैं।

वादीगण ने वाद पत्र में यह अंकित किया है कि वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की हाल आराजी खसरा नम्बर 258 रकबा 0.23 हैक्टे0 व 259 रकबा 0.42 हैक्टे0 कुल किता 2 रकबा 0.65 हैक्टे0 ग्राम झालाना चौड़, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है जो साबिका खसरा नम्बर 229 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा से निर्मित हुये हैं। वादीगण संवत् 2012 से मौजूदा ताहाल तक बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं जिस पर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। वादीगण ने यह अंकित करते हुये उक्त आराजी वादीगण की पैतृक आराजी है और वादीगण संवत् 2012 से अर्थात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ताहाल तक बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं वादीगण के पूर्व वादीगण के पूर्वज श्री ग्यारसा पुत्र जीवन व नानगा पुत्र ग्यारसा तथा उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण उक्त आराजी पर काश्त कर रहे हैं जो संवत् 2015 से ताहाल तक की खसरा गिरदावरी से भी साबित हो जाती है कि वादीगण उक्त आराजी पर लगातार काश्त कर रहे हैं और वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं लेकिन राजस्व कर्मियों ने वादीगण को गैर खातेदार अंकित कर रखा है जो गलत है जबकि वादीगण को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। वादीगण ने वाद पत्र में यह अंकित करते हुये कि वर्तमान गैर खातेदारी इन्द्राजों से वादीगण के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और वादीगण उक्त आराजी का उपयोग पूर्णतः नहीं कर पा रहे हैं उक्त आराजी पर वर्तमान गैर खातेदारी का इन्द्राज खिलाफ कानून है जिसको कलमजन किया जाकर वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। वादीगण ने वाद पत्र में यह भी अंकित किया कि वादीगण द्वारा पूर्व में गैर खातेदार से खातेदारी हेतु एक याचिका धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसमें वादीगण को दावा कर खातेदारी प्राप्त करने की कहकर जिला कलेक्टर जयपुर ने वादीगण की याचिका खारिज कर दी जिसके विरूद्ध वादीगण ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील पेश की जहॉ पर भी दिनांक 27.06.2013 को वादीगण की याचिका इस आधार पर स्वीकार की गई कि प्रकरण जिला कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है कि वह जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही करें, वादीगण को फिर भी वांछित अनुतोष प्राप्त नहीं होता है तो वे राजस्व न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने को स्वतंत्र है। दिनांक 28.09.2014 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी है कि अब वे वादीगण को उक्त आराजी पर काश्त नहीं करने देंगे और वादग्रस्त भूमि से बेदखल करके रहेंगे। इसी धमकी से वादीगण को दिनांक 28.09.2014 को वाद कारण उत्पन्न हुआ। वादीगण ने दावा दायर करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिनांक 15.02.2013 को दिया गया लेकिन आज तक वादीगण को खातेदारी नहीं दी गई है जिसे प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है इसलिये वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा कि भूमि विवादग्रस्त से वादीगण के गैर खातेदारी इन्द्राजात खिलाफ काननू व खिलाफ मौका है जिसको कलमजन किया जाये व वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज रिपोर्ट किया जाये तथा गैर खातेदार से गैर हटाकर खातेदार दर्ज किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में बेजा मदाखलत व मजाहमेत ना करें मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(...राजेश्वर)
...खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

वादीगण को बेदखल नहीं करें एवं ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे हकूक वादीगण पर विपरीत असर आवे।

न्यायालय ने उक्त वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस प्रेषित किये। प्रतिवादीगण पर सम्मन की तामील होने से पूर्व ही न्यायालय ने दिनांक 10.06.2015 को वादी व वादी के अभिभाषक की अनुपस्थिति अंकित कर दावे को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया। वादीगण ने उक्त वाद पत्र को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय ने दिनांक 08.06.2017 के आदेश द्वारा निरस्त फरमा दिया जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा अपील प्रस्तुत की गई और राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने उक्त अपील संख्या 775/2017 उनवानी गोपाल बनाम सरकार को दिनांक 18.07.2018 के अपने आदेश द्वारा स्वीकार करते हुये वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये। उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील इत्यादि प्रस्तुत नहीं की गई और वह आदेश अंतिम हो गया जिसके आधार पर दावे को पुनर्स्थापित कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। प्रतिवादीगण पर सम्मन की तामील होने पर पत्रावली को वास्ते बहस नियत किया गया परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से कोई वादोत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में दावे में अग्रिम कार्यवाही की गई वादीगण ने दिनांक 30.08.2018 को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की और पत्रावली को वास्ते बहस नियत किया गया।

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी और पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रदर्श–1 प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2067 से 2070, प्रदर्श–4 विधिक समाचार पत्र अन्तर्गत धारा 80 जा.दी., प्रदर्श–1 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2071 लगायत 2074, प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–3 निर्णय राजस्व मण्डल राजस्थान दिनांक 27.06.2013, प्रदर्श–5 पत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) जयपुर दिनांक 28.01.2014, प्रदर्श–6 पत्र तहसीलदार सांगानेर दिनांक 16.01.2014, प्रदर्श–7 रिपोर्ट पटवारी हल्का, प्रदर्श–8 जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का, प्रदर्श–9 पत्र तहसीलदार सांगानेर दिनांक 13.03.2014, प्रदर्श–10 खसरा गिरदावरी संवत् 2067 से 2070, प्रदर्श–11 खसरा गिरदावरी संवत् 2051–52 आदि दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की और वादी गोपाल पुत्र नानगा ने अपने बयान दर्ज कराये।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई वादोत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई। वादीगण के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 258 व 259 साबिका खसरा नम्बर 229 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा से बने हैं। उक्त भूमि बारानी द्वितीय है और उक्त भूमि पर निरन्तर काश्त हो रही है परन्तु भूमि विवादग्रस्त को राजस्व भू–अभिलेखों में गैर खातेदारी में अंकित किया हुआ है जिसे खातेदारी में अंकित किया जाना आवश्यक है। वादीगण ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा प्रार्थना पत्र एल.आर. संख्या 4321/2013 गोपाल व अन्य बनाम सरकार के प्रकरण में दिनांक 27.06.2013 को पारित निर्णय के आधार पर यह कहा कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान ने भी अपने उक्त निर्णय में यह स्वीकार किया है कि राज्य सरकार ने प्रशासन गॉवों के संग अभियान में गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने के निर्देश दिये हैं इसके बावजूद भी प्रार्थी को अनुतोष नहीं मिलना उचित नहीं है एवं ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीगण का धारा 9 के

(जगदीश राजेश्वर)
उपखण्ड अधिकारी
द्वितीय (सांगानेर)

Scanned by CamScanner

अन्तर्गत याचिका प्रस्तुत करना जायज है। विद्वान् उप राजकीय अभिभाषक का यह कथन बेशक उचित है कि उन्हें न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये किन्तु इसके अतिरिक्त अन्य विधिक उपायों का सहारा लेना अनुचित नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान ने अपने उक्त निर्देश अंकित कर प्रकरण जिला कलेक्टर को प्रेषित किया परन्तु जिला कलेक्टर द्वारा वादीगण का नाम गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार के रूप में अंकित करने के कोई निर्देश नहीं दिये और प्रतिवादीगण ने वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करने की धमकी दी जिसकी वजह से ही वादीगण ने यह दावा प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है जिस पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने में किसी प्रकार की कोई विधिक बाधा नहीं है, मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 258 व 259 साबिका खसरा नम्बर 229 से बनी है और खतौनी बंदोबस्त संवत् 2015 लगायत 2034 में खसरा नम्बर 229 की भूमि रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा ग्यारसा पुत्र जीवन व अन्य के नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज है और भूमि की किस्म खातली सोयम दर्ज है। वादीगण भूमि विवादग्रस्त पर निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे का प्रतिवादीगण द्वारा कोई प्रतिकार नहीं किया गया है। अतिरिक्त कलेक्टर (प्रथम) जयपुर ने तहसील सांगानेर से प्रदर्श–5 द्वारा कुछ बिन्दुओं पर रिपोर्ट तलब की जिसका जवाब प्रदर्श–6 तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 16.01.2014 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। उक्त वर्णित दस्तावेजात राजस्व रिकॉर्ड में सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थीगण पूर्वजों के नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज है, कब्जे के संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट संलग्न है। पटवारी हल्का ने प्रदर्श–7 जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुरूप ही रिपोर्ट अंकित कर यह कथन किया गया है कि उक्त वर्णित आराजियात पर पिछले सेटलमेंट के समय से ही प्रार्थीगण के पूर्वज व मौजूदा वारिस काश्त का कार्य करते हैं तथा मौके पर काबिज है मौके पर भूमि काश्त के कार्य आ रही है और प्रार्थीगण ही उक्त आराजियात पर काश्त करते हैं मौके पर कोई मकान या आबादी भी नहीं है केवल काश्त कार्य किया जा रहा है गैर खातेदारी से खातेदारी के लिये संवत् 2051 से 2070 की खसरा गिरदावरी में लगातार सभी खसरा नम्बरान में काश्त दर्ज है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 13.03.2014 को जो रिपोर्ट जिला कलेक्टर जयपुर को प्रेषित की गई उसमें यह अंकित किया गया है कि प्रकरण संबंधित भूमि संवत् 2015 से भू–प्रबंध के समय से ही गैर खातेदारी में दर्ज थी, तहसील स्तर पर भूमि आवंटन एवं गैर खातेदारी नामांतरकरण आदि की कार्यवाही नहीं हुई है। भू–प्रबंध द्वारा प्राप्त दस्तावेज मिसल बंदोबस्त में गैर खातेदारी अंकन करने का आधार आवंटन या न्यायालय के आदेश का विवरण अंकित नहीं है इस कार्यालय की रिपोर्ट दिनांक 18.12.2013 में गैर खातेदारान द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने संबंधी प्रयास के संबंध में आवेदकों द्वारा कोई प्रमाणित दस्तावेज इस कार्यालय में अब तक प्रस्तुत नहीं किये हैं चूंकि भूमि के गैर खातेदारी इन्द्राज भू–प्रबंध विभाग द्वारा संवत् 2015 में दिये गये हैं इसलिये राजस्व विभाग में गैर खातेदारी इन्द्राज दिये जाने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं हुई है प्रकरण का निस्तारण न्यायिक प्रक्रिया द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना उचित होगा। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा वादीगण के शपथ पत्र से यह संदेह से बाहर स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है और ऐसी भूमि की श्रेणी में नहीं आती, जिसमें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हों। खतौनी बंदोबस्त संवत् 2015 से 2034 में उक्त भूमि की किस्म खातली दर्ज है। उक्त संदर्भ

(कमलेश्वर)
अधिकारी
द्वितीय (सांगानेर)

Scanned by CamScanner

में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मात्र उन्हीं भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते जो अनियमित तथा यदाकदा काश्त की भूमि की श्रेणी में आती हो जिससे यह आशय स्पष्ट होता है कि नियमित काश्त की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने में कोई बाधा नहीं है। अभिभाषक वादी द्वारा 1973 आर. आर.डी. 271 व 1994 आर.आर.डी. 520 प्रस्तुत की गई है जिनमें यह स्पष्ट होता है कि धारा 16 (2) में मात्र नदी–नालों की वही भूमि आती है जो कैज्युअल व ओकेजनल कल्टीवेशन की भूमि हो। प्रस्तुत भूमि नियमित काश्त की भूमि प्रतीत होती है और पटवारी हल्का द्वारा इसे प्रमाणित किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को वादीगण की गैर खातेदारी अंकित रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता। वादीगण भूमि विवादग्रस्त के खातेदार कृषक है इसलिये राजस्व भू–अभिलेखों में जो उक्त भूमि वादीगण की गैर खातेदारी में दर्ज है उसके स्थान पर उसे खातेदारी की भूमि के रूप में अंकित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 6/2/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,
जयपुर (द्वितीय)

(जगदीश राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर व इजलास श्री जगत राजेश्वर आर.ए.एस.।

दावा संख्या 129/2018

उनवान

1. गोपाल पुत्र स्व. श्री नानगा
2. प्रेमचन्द पुत्र स्व. श्री नागना
3. दामोदर पुत्र स्व. श्री नानगा
4. प्रभाती देवी पुत्री स्व. श्री नानगा
5. मुन्नी देवी पुत्री स्व. श्री नानगा
6. रामप्यारी देवी पुत्री स्व. श्री नानगा
7. कौशल्या देवी पुत्री स्व. श्री नानगा
8. भूरी देवी पत्नी स्व. श्री नानगा

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम झालाना चौड़, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

— वादीगण

— ब ना म —

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर।
2. जिला कलेक्टर महोदय, जयपुर।
3. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, राजस्थान।

— प्रतिवादीगण

4. धारूलाल पुत्र स्व. श्री गणेश
5. दूलचन्द पुत्र स्व. श्री गणेश
6. मूलचन्द पुत्र स्व. श्री गणेश
7. रूपनारायण पुत्र स्व. श्री गणेश
8. कानाराम पुत्र स्व. श्री गणेश

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम झालाना चौड़, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

9. फूलचन्द पुत्र स्व. श्री तुलसीराम नाबालिग जरिये माता रूकमा, जाति माली निवासी ग्राम झालाना चौड़, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. श्रीमती रूकमा पत्नी स्व. श्री तुलसीराम, जाति माली निवासी ग्राम झालाना चौड़, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

— प्रारूपिक प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

यह कि मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय व हाजरी वकीलान पक्षंकारान मिन जानिब मुदालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। पत्रावली का अवलोकन कर यह आदेश दिया जाता है कि वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर वादीगण को खसरा नम्बर 258 रकबा 0.23 हैक्टे0, 259 रकबा 0.42 हैक्टे0 कुल किता 2 रकबा 0.65 हैक्टे0, ग्राम झालाना चौड़, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी

(जगत राजेश्वर)
उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

संख्या 1 तहसीलदार, तहसील सांगानेर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे राजस्व भू-अभिलेखों में हो रहे इन्द्राजात को दुरूस्ती कर जो वादीगण के नाम पश्चात जो शब्द गैर खातेदार दर्ज हो रहा है उसे निरस्त कर वादीगण का नाम खातेदार कृषक के रूप मे दर्ज करें।

खर्चा इस मुकदमें के मय शूद बशरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 6/2/19 को जारी की गई।

दस्तखत .....

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

(जगत राजेश्वर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned by CamScanner